RAJYA SABHA

Monday, the 3rd August, 1970/the 12th Sravana, 1892 (Saka)

The House met at eleven of the clock, MR. CHAIRMAN in the Chair.

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

रेल दुर्घटनाएं

*151. **श्री ना० कृ० शेजवलकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 के वर्ष में भारतीय रेलों पर कितनी दुर्घटनाएं हुईं; और

(ख) इन दुर्घटनाओं के परिणामस्वरूप जन-धन की कितनी हानि हुई और कितने व्यक्ति घायल हुए ?

†[RAILWAY ACCIDENTS

*151. SHRI N. K. SHEJWALKAR : Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state :

(a) the number of accidents which occurred on the Indian Railways during the year 1969-70; and

(b) the details of the loss of life and property and the number of persons injured as a result of these accidents ?]

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रोहन लाल चतुर्वेदी) (क) : 1969-70 में भारत की सरकारी रेलों पर गाड़ियों की टक्कर, पटरी से उतरने, सवारों पर सड़क यातायात से गाड़ियों के टकराने और गाड़ियों में आग लगने की कोटियों में 963 गाड़ी दुर्घटनाएं हुईं ।

(ख) इन दुर्घटनाओं में 288 व्यक्ति मारे गये और 755 घायल हुए । रेल सम्पत्ति को लगभग 1,26,69,000 रुपये की हानि हुई ।

†[THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI ROHANLAL CHATURVEDI) : (a) There were 963 train accidents in the categories of collisions, derailments, trains running into road traffic at level crossings and fires in trains on the Indian Government Railways, during the year 1969-70.

(b) In these accidents 288 persons were killed and 755 injured. The extent of damage to railway property, was estimated at Rs. 1,26,69,000, approximately.]

श्री ना० कृ० शेजवलकर : क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो 288 व्यक्ति हताहत हुए हैं उनमें सब से अधिक व्यक्ति किस ऐक्सीडेंट में हताहत हुए और ऐसे कितने ऐक्सीडेंट्स हैं जिनमें दस से अधिक व्यक्ति मारे गये और इस प्रकार के जो ऐक्सीडेंट्स हैं जिन में दस से अधिक व्यक्ति मारे गये उनकी आप तिथियां बतायें और यह भी आप कृपया बतायें कि क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच आप की ओर से कराई गई और अगर कराई गई तो उसका क्या परिणाम हुआ ?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : सभापति जी 1969-70 में दो ऐक्सीडेंट्स काफी बड़े हुये थे । एक ऐक्सीडेंट 21 जून, 1969 को हुआ जिसमें 72 आदमी मारे गये और 140 जख्मी हुये । यह जखमिया जो नार्थ ईस्टर्न रेलवे का स्टेशन है वहां गोरखपुर एक्सप्रेस का ऐक्सीडेंट हुआ था । दूसरा ऐक्सीडेंट 14 जुलाई, 1969 का है जिस में 86 आदमी मारे गये और 115 घायल हुये । यह जाजपुर का ऐक्सीडेंट है । दूसरा प्रश्न माननीय सदस्य का यह है कि इसकी जांच हुई या नहीं । इनकी जांच हुई है और जो पहला ऐक्सीडेंट है उसमें कम्पेंसेशन के केसेज भी फाइनेलाइज होने वाले हैं ।

श्री ना० कृ० शेजवलकर : हमने पूछा कि जांच के परिणाम क्या हैं । मैं यह जानना चाहता हूं कि जांच में क्या बताया गया । किन कारणों

†[ ] English translation.

से इस प्रकार की दुर्घटनाएं हुई इनके पीछे किसी का षड्यंत्र है या ये स्वाभाविक हैं। ये दुर्घटनाएं जितनी हुईं इनका कारण क्या था, इनमें कितने अपराधी पाये गये और जो अपराधी पाये गये उनके विरुद्ध आपने क्या कार्रवाई की।

श्री सभापति : आप दूसरा सवाल भी पूछ लीजिये।

श्री ना० कृ० शेजवलकर : जब वे उत्तर दे देंगे तब पूछूंगा।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : जो मैंने खास तौर से दो ऐक्सीडेंट्स बयान किये उनमें एक ह्यमेन फ़ेल्योर का है और एक सेबोटेज का है। इनमें इंक्वायरी हो गई हैं और जो प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स हैं वे मैंने बताई कि गोरखपुर वाला केस सेबोटेज का है।

श्री ना० कृ० शेजवलकर : मैं यह जानना चाहता हूं कि सेबोटेज में क्या हुआ, कौन लोग थे, क्या कोई पार्टी या कोई ग्रुप उसमें इंवाल्व था? यह राष्ट्रीय सम्पत्ति है और एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और मनुष्यों के जीवन से संबंधित है। तो आप को सदन में यह बताने में क्या आपत्ति है कि जो इंक्वायरी हुई उसकी क्या फाइंडिंग्स हैं।

श्री सभापति : अगर लम्बा है You can put it on the Table of the House.

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : मैं पूरे डिटेल्स टेबिल पर रख दूंगा।

श्री निरंजन वर्मा : सैबोटेज किसने किया है और उसमें कौन-कौन लोग थे, यह तो बतायें।

श्री ना० कृ० शेजवलकर : जो लोग सैबोटेज में बताये गये हैं, उनमें से कोई पकड़ा गया और क्या उनके विरुद्ध कोई क्रिमिनल कार्रवाई की गई या नहीं की गई?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : जैसा कि माननीय सदस्य चाहते हैं इसके पूरे डिटेल्स मैं बाद में टेबिल पर ले कर दूगा।

श्री सभापति : आप यह बता सकते हैं कि क्या कोई केस चला और कोई कानूनी कार्रवाई की गई या नहीं की गई?

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : इस पर एडीशनल कमिश्नर आफ रेलवेज़ सेफटी ने इंक्वायरी की और पुलिस में केस दिया गया। जो सैबोटेज का केस है उसमें कार्रवाई हो रही है और डिटेल्स मैं बाद में बताऊंगा।

श्री ना० कृ० शेजवलकर : श्रीमन्, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि जो मैंने प्रश्न पूछा उसका क्या उत्तर आ गया।

श्री सभापति : जितना आ सकता था वह आ गया है।

SHRI ARJUN ARORA : Sir, May I know .:.

MR. CHAIRMAN : Please wait just now. I have called another gentleman.

SHRI ARJUN ARORA : You pointed your finger towards me.

MR. CHAIRMAN : I know your name very well.

SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE : Sir, may I know, in view of the increase in the number of accidents in the Indian railways, whether government has any idea of introducing the Accident Insurance Scheme—automatic insurance scheme—in the Indian railways, and if so, the time when it is expected to be implemented?

SHRI ROHANLAL CHATURVEDI : Sir, the suggestion has been made, but at present we have no idea of introducing any insurance scheme.

SHRI DALPAT SINGH : May I know, Sir, whether the accident is due to the negligence of the railway staff and if so, whether any action has been taken against them and how many accidents occurred due to unmanned level-crossings? May I know further as to what time will be taken to finalise the cases of compensation, as the Minister has said that they have not been finalised yet and whether anybody has been paid any compensation at all uptill now?

SHRI ROHANLAL CHATURVEDI: As far as the point of compensation raised by the hon. Member is concerned, the accident of Gorakhpur Express that occcrred on 21-6-69, the compensation is being paid and is in the process of finalisation now and very soon that work will be over within a month or so.

SHRI DAI PAT SINGH : The Ministry has not replied to the second part of my question regarding unmanned level crossings.

SHRI GULZARILAL NANDA : Sir, there was the question of level-crossings. May I add that the information is that in the year 1969-70, the number of such accidents was 111, as compared to 129 in the previous year, 1968-69 ?

MR. CHAIRMAN : Yes, Mr. Rajnarain.

श्री राजनारायण : क्या इस सरकार को इस बात की जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार ने जखमिया दुर्घटना के सम्बन्ध में रेलवे अधिकारियों को जिम्मेदार बताया है और रेलवे अधिकारी बताते हैं कि नहीं, यह दुर्घटना कराई गई है सैबोटेज है । इन दोनों विचारों में कहीं साम्यता आई है या दोनों अपनी जगह पर डटे हुये हैं । मैं दो तीन बार वहां गया हूं और सारे रेलवे अस्पताल को देखा है । मैं यह जानना चाहता हूं कि आज सरकार के पास क्या सबूत है कहने के लिये कि यह दुर्घटना सैबोटेज से हुई जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार सार्वजनिक रूप से कह चुकी है कि यह रेलवे विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही का परिणाम है ।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : श्रीमन्, यह बात सत्य है कि जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा कि शुरू-शुरू में उत्तर प्रदेश की सरकार यह बात नहीं मान रही थी कि यह दुर्घटना सैबोटेज के कारण हुई, लेकिन एडीशनल कमिश्नर आफ रेलवे सेफटी ने इंक्वायरी की और जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि वे रेलवे के अधीन नहीं हैं, दूसरी मिनिस्ट्री से आते हैं । उनकी इंक्वायरी से यह साबित हुआ कि यह मामला सैबोटेज का है और इस कारण इस सम्बन्ध में और जांच की आ रही है ।

श्री राजनारायण : उत्तर प्रदेश की सरकार ने माना या नहीं ।

श्री रोहन लाल चतुर्वेदी : इसी लिये मैंने कहा कि बाकी डिटेल्स में सभा पटल पर रखदूंगा ।

MR. CHAIRMAN : Next question.

SHRI ARJUN ARORA : I thought you would give me a chance, Sir.

MR. CHAIRMAN : I committed a mistake.

MONOPOLIES COMMISSION

*152. SHRI R. P. KHAITAN :†
SHRI K. CHANDRASEKHARAN :
SHRI CHITTA BASU :
SHRI PRANAB KUMAR MUKHERJEE :
SHRI ARJUN ARORA :
SHRI KRISHAN KANT :

Will the Minister of COMPANY AFFAIRS be pleased to state :

(a) whether Government have since constituted the Monopolies Commission under the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act which came into force with effect from the 1st June, 1970;

(b) if so, the details thereof and the details of the staff recruited at the time of its inception; and

(c) if the answer to part (a) above be in the negative, the reasons therefor ?

THE MINISTER OF COMPANY AFFAIRS (SHRI K. V. RAGHUNATHA REDDY) : (a) The Government has taken decision on the composition and about Chairman and Members of the Commission and a notification has

†The question was actually asked on the floor of the House by Shri R. P. Khaitan.